

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2416
उत्तर देने की तारीख 13.03.2025
जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए निधि

2416 श्री अनन्त नायक :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क): पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए राज्यवार कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई;
- (ख): क्या सरकार ने विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों की आजीविका और आर्थिक विकास में सुधार के लिए कोई नई पहल शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग): क्या सरकार के पास जनजातीय विरासत, संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का अध्ययन और दस्तावेजीकरण करने के लिए और अधिक संख्या में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डीएपीएसटी के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए दो मिशन शुरू किए हैं नामतः 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। ये मिशन क्रमशः अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में पीवीटीजी और अजजा के लक्षित विकास के लिए शुरू किए गए हैं। पीएम जनमन के अंतर्गत, वन धन विकास केन्द्रों और बहुउद्देश्यीय केन्द्रों (एमपीसी) के लिए निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। डीएजेजीयू के अंतर्गत, जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ अभिसरण।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों नामतः भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को मजबूत करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ऋण लिंकेज प्रदान करता है, जिससे उनमें उद्यमशीलता की भावना पैदा होती है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं सावधि ऋण स्कीम, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम (एमसीएफ) और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एसआरवाई) हैं।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को मजबूत करने, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण गतिविधियों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय त्योहारों के आयोजन, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन के लिए यात्राओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना "जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता" के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, जनजातियों के आदान-प्रदान दौरों को भी सहायता दी जाती है, ताकि जनजातीय संस्कृति प्रथाओं, भाषाओं और अनुष्ठानों को संरक्षित और प्रसारित किया जा सके। वर्तमान में, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना का विषय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अनुलग्नक

"जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए निधि" के संबंध में श्री अनंत नायक द्वारा दिनांक 13.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2416 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23*		2023-24*	
		जारी निधि	उपयोग किया गया								
1	अंडमान और निकोबार	5.62	5.62	12.33	12.33	8.03	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	736.32	736.32	1433.81	1433.81	3935.06	3935.06	0.00	0.00	5700.16	5700.16
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	207.30	207.30	267.44	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.00	0.00	17.27	17.27	102.19	102.19	107.41	107.41	187.50	187.50
5	बिहार	7131.47	6888.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	4796.94	4796.94	3541.54	3541.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5250.00	3745.57
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	38.49	38.49	234.00	234.00	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दमन और दीव	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	गोवा	80.56	80.56	41.35	41.35	0.00	0.00	108.18	108.18	52.50	52.50
10	गुजरात	5248.34	5248.34	2198.84	2198.84	3689.18	3689.18	5451.67	5451.67	6200.00	6200.00
11	हिमाचल प्रदेश	83.92	83.92	91.87	91.87	0.00	0.00	79.02	79.02	110.00	101.09
12	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	झारखंड	1514.49	1514.49	0.00	0.00	3899.03	3899.03	0.00	0.00	5700.00	0.00
14	कर्नाटक	1846.92	1846.92	0.00	0.00	1753.16	1753.16	2370.04	2370.04	3400.00	3400.00
15	केरल	287.31	287.31	116.56	116.56	347.07	347.07	0.00	0.00	436.46	380.18
16	लद्दाख	0.00	0.00	42.27	42.27	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मध्य प्रदेश	7698.90	7698.90	5429.34	5429.34	11458.18	11458.18	12743.85	12743.85	0.00	0.00
18	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मणिपुर	443.33	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.48	115.48	0.00	0.00
21	मिजोरम	702.21	702.21	167.86	167.86	657.47	657.47	0.00	0.00	306.89	255.64
22	नागालैंड	0.00	0.00	60.75	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	ओडिशा	6157.65	6157.65	6944.96	6944.96	5236.75	5236.75	9397.06	9088.67	0.00	0.00
24	पुडुचेरी	0.00	0.00	1.63	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	राजस्थान	5346.97	5346.97	3126.90	3126.90	6234.34	6234.34	3530.80	3530.80	0.00	0.00
26	सिक्किम	3.57	3.57	9.41	9.41	0.00	0.00	17.84	0.46	0.00	0.00
27	तमिलनाडु	589.74	589.74	241.00	241.00	546.55	546.55	404.46	404.46	362.34	362.34
28	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
29	त्रिपुरा	386.18	386.18	252.09	252.09	58.55	58.55	1136.76	1136.76	0.00	0.00
30	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	उत्तराखंड	0.00	0.00	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
32	पश्चिम बंगाल	894.18	894.18	788.22	788.22	912.51	912.51	0.00	0.00	2988.85	1487.35
	कुल	43999.00	43532.89	24890.24	24883.32	39414.37	39119.57	35730.00	35136.80	30859.70	21887.33

*अनंतिम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई राज्य-वार निधियां

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23*		2023-24*	
		जारी निधि	उपयोग किया गया								
1	अंडमान और निकोबार	11.34	11.34	13.29	13.29	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	7797.07	7797.07	6039.35	6039.35	8991.45	8991.45	13356.50	13356.50	11471.08	11471.08
3	अरुणाचल प्रदेश	6113.41	6113.41	5712.96	5712.96	12360.50	12360.50	9616.49	9616.49	8000.00	8000.00
4	असम	4867.20	4867.20	5413.54	5413.54	1093.40	1093.40	6845.47	6845.47	3500.00	3500.00
5	बिहार	1525.43	1525.43	708.22	708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	7022.69	7022.69	8790.24	8790.24	0.00	0.00	9330.35	9330.35	7125.00	7125.00
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	88.66	88.66	3481.73	3481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	403.75	403.73
8	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	गोवा	732.79	732.79	458.18	458.18	0.00	0.00	1187.23	1187.23	526.54	526.54
10	गुजरात	14004.48	14004.48	22977.64	22977.64	46170.25	46170.25	24426.38	24426.38	35000.00	35000.00
11	हिमाचल प्रदेश	2468.81	2468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	1048.29	1048.29	805.44	805.44	0.00	0.00	683.57	683.57	746.25	746.25
13	झारखंड	7862.86	7862.86	0.00	0.00	12654.88	12654.88	0.00	0.00	5310.66	5310.66
14	कर्नाटक	15003.43	15003.43	0.00	0.00	17080.51	17080.51	0.00	0.00	22556.05	22556.05
15	केरल	1641.52	1641.52	3285.25	3285.25	2516.49	2516.49	0.00	0.00	4689.34	4689.34
16	लद्दाख	0.00	0.00	738.00	738.00	2214.00	2214.00	1891.27	1891.27	596.25	596.25
17	मध्य प्रदेश	12198.58	12198.58	12344.00	12344.00	24529.43	24529.43	27048.58	27048.58	35000.00	35000.00
18	महाराष्ट्र	15575.38	15575.38	18149.52	18149.52	19214.82	19214.82	9026.85	9026.85	57035.80	57035.80
19	मणिपुर	6235.55	6235.55	2184.19	2184.19	4292.15	4292.15	4137.54	4137.54	3000.00	3000.00
20	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	2636.09	2636.09	14619.79	14619.79	8500.00	8500.00
21	मिजोरम	4415.78	4415.78	3446.82	3446.82	3874.64	3874.64	2590.31	2590.31	2500.00	2500.00
22	नागालैंड	3268.73	3268.73	3226.37	3226.37	4435.75	4435.75	3608.43	3608.43	3500.00	3500.00
23	ओडिशा	16640.15	16640.15	19095.97	19095.97	21842.98	21842.98	17133.30	17133.30	13564.10	13564.10
24	पुडुचेरी	0.00	0.00	19.56	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	राजस्थान	25950.52	25950.52	25557.03	25557.03	13744.70	13744.70	18810.10	18810.10	22000.00	22000.00
26	सिक्किम	566.80	566.80	553.83	553.83	1036.28	1036.28	925.44	925.44	0.00	0.00
27	तमिलनाडु	5025.19	5025.19	3328.99	3328.99	4849.38	4849.38	2854.28	2854.28	2000.00	2000.00
28	तेलंगाना	19610.60	19610.60	27297.83	27297.83	7503.90	7503.90	23851.18	23851.18	11250.00	11250.00

29	त्रिपुरा	2355.78	2355.78	4804.98	4804.98	7188.77	7188.77	4522.33	4522.33	4000.00	3993.90
30	उत्तर प्रदेश	1822.71	1822.71	2218.67	2218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
31	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	3568.37	3568.37	0.00	0.00	187.50	187.50
32	पश्चिम बंगाल	2411.00	2411.00	2256.42	2256.42	3872.05	3872.05	0.00	0.00	3405.83	2262.78
	कुल	186264.75	186264.75	182908.02	182890.78	225681.13	225681.13	196465.39	196465.39	266868.15	265718.98

*अनंतिम

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, मंत्रालय-वार पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि (14.01.2025 तक)*

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)	शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)	एमओपी (आरडीएस)	एमएनआरई	एमओसी (डीओटी-यूएसओएफ)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
										एमपीसी	वीडीवीके
1	आंध्र प्रदेश	44.33	280.53	40.31	43.44	18.85	88.71	8.38	94.5	14.97	3.105
2	छत्तीसगढ़	200.63	1698.92	19.65	32.28	68.3	38.17	6.42	21.6	8.52	1.1976
3	गुजरात	94.46	1.24	5.76	8.04	13.75	0	0	12.6	1.66	0.525
4	झारखंड	54.54	113.86	7.45	13.32	27.5	74.13	11.71	4.5	0.62	1.438
5	कर्नाटक	6.24	55.62	1.69	2.88	2.3	3.77	0.9	9	3.33	0.892
6	केरल	1.36	0.00	7.45	0.84	10.1	0.86	0	6.3	2.29	0.2166
7	मध्य प्रदेश	1575.11	836.21	25.07	111.24	117.3	143.39	10.3	18.9	25.99	2.5755
8	महाराष्ट्र	100.54	0.00	26.42	26.4	35.75	26.61	0	8.1	12.47	1.812
9	ओडिशा	263.72	149.75	16.94	14.64	82.5	0	0	13.5	24.64	1.7765
10	राजस्थान	167.68	68.86	2.03	10.8	9.2	40.34	0	0.9	3.33	4.3296
11	तमिलनाडु	31.14	0.00	35.57	5.04	14.91	29.89	0	0.9	10.09	1.2015
12	तेलंगाना	0	66.85	4.74	10.2	19.75	6.79	1.63	4.5	2.91	0.7305
13	त्रिपुरा	153.97	114.32	2.03	20.04	37.6	61.52	8.52	9	4.57	1.27
14	उत्तर प्रदेश	2.04	0.00	0.68	0.12	5.5	1.1	0	0	0.83	0.1595
15	उत्तराखंड	26.38	0.00	8.13	0.96	7.35	0.6	0	0	3.01	0.157
16	पश्चिम बंगाल	0	0.00	4.74	0	0	0	0	0	0.00	0
17	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.028
18	मणिपुर	0	0.00	0	5.04	5.5	0	0	0	0.00	0
19	बिहार	0	0.00	0	5.88	0	0.28	0	0	0.00	0
	कुल योग	2722.14	3386.2	208.66	311.16	476.16	516.16	47.86	204.3	119.24	21.41

*संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

वन धन विकास केंद्र और स्वीकृत निधि का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत वीडिवीके की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	415	6,162.90
2	अरुणाचल प्रदेश	106	1590
3	असम	471	7065
4	छत्तीसगढ़	139	2085
5	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	15
6	गोवा	10	150
7	गुजरात	200	2895.65
8	हिमाचल प्रदेश	4	55.5
9	जम्मू एवं कश्मीर	100	1457
10	लद्दाख	10	150
11	झारखंड	146	2174.7
12	कर्नाटक	140	2087.4
13	केरल	44	597.25
14	मध्य प्रदेश	126	1890
15	महाराष्ट्र	264	3960
16	मणिपुर	200	2996.8
17	मेघालय	169	2534.1
18	मिजोरम	259	3806.55
19	नागालैंड	284	4259.9
20	ओडिशा	170	2479.25
21	राजस्थान	479	7135.6
22	सिक्किम	80	1169.05
23	तमिलनाडु	8	120
24	तेलंगाना	17	255
25	त्रिपुरा	57	776
26	उत्तर प्रदेश	25	359.55
27	उत्तराखंड	12	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	329.35
	कुल	3958	58,736.50

पिछले पांच वर्षों में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	17105.75
2	अंडमान निकोबार	245
3	अरुणाचल प्रदेश	2510.2
4	असम	103.22
5	बिहार	14.54
6	छत्तीसगढ़	3051.93
7	दादर एवं नगर हवेली	4.55
8	गोवा	0.22
9	गुजरात	7689.01
10	हिमाचल प्रदेश	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	127.32
12	झारखंड	3785.6
13	कर्नाटक	3744.02
14	केरल	6961.6
15	लक्षद्वीप	2231.84
16	मध्य प्रदेश	0
17	महाराष्ट्र	17443
18	मणिपुर	4595.6
19	मेघालय	322.86
20	मिजोरम	7871.93
21	नागालैंड	27386.51
22	ओडिशा	5425.46
23	राजस्थान	6976.06
24	सिक्किम	6526.72
25	तमिलनाडु	432.2
26	तेलंगाना	4408.8
27	त्रिपुरा	19013.36
28	उत्तराखंड	4930.59
29	उत्तर प्रदेश	222.53
30	पश्चिम बंगाल	4.92
	कुल	157713.4

टीएसएस को एससीए/पीएमएएजीवाई के तहत राज्यवार जारी निधि और देय यूसी (उपयोगिता प्रमाणपत्र)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	टीएसएस को एससीए		पीएमएएजीवाई				कुल यूसी देय
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*	2023-24*	2024-25*	
		जारी की गई निधि						
1	आंध्र प्रदेश	12470.5	4954.96	0	0	0	0	11947.05
2	अरुणाचल प्रदेश	9224.29	7015.5	733.68	0	0	0	733.68
3	असम	2710.08	4578.76	8743.02	11538.22	7182.38	5186.19	0
4	बिहार	0	3106	774.44	0	0	0	3880.44
5	छत्तीसगढ़	9415.53	8769.06	15595.8	23021.82	0	0	38617.62
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	173.23	0	0	173.23
7	गोवा	0	724.26	0	0	0	0	51.99
8	गुजरात	8975.55	10786.4	15916.78	19401.76	0	0	28487.79
9	हिमाचल प्रदेश	2394.18	1367	377.03	288.09	0	0	297.57
10	जम्मू और कश्मीर	4509	0	0	932.39	0	0	932.39
11	लद्दाख	0	0	0	470.525	0	0	168.23
12	झारखंड	6201.49	7049.64	6531.79	6915.28	0	0	18327.73
13	कर्नाटक	7434	0	2139.9	937.48	0	0	2253.83
14	केरल	0	459.15	0	0	61.19	0	0
15	मध्य प्रदेश	13415.25	0	12268.76	27694.54	0	0	28283.07
16	महाराष्ट्र	11929.09	0	0	13485.5	0	0	20541.68
17	मणिपुर	1434.02	0	427.98	295.47	0	0	809.81
18	मेघालय	3788	328.25	0	3342.3	0	0	3374.8
19	मिजोरम	3140	1236.22	580.83	1818.605	1112.009	0	0
20	नागालैंड	2951.12	2846.14	886.53	2233.97	0	3827.44	13.01
21	ओडिशा	8691.18	9010.42	2771.68	1001.24	3044.423	0	4739
22	राजस्थान	11461.41	8662.66	7224.71	15269.66	0	0	19396.56
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	82.56
24	तमिलनाडु	450.56	377.47	285.32	285.62	855.805	0	307.57
25	तेलंगाना	5361.29	4191	2262.18	1681.035	0	0	343.06
26	त्रिपुरा	1362.97	1173.3	631.78	904.48	2737.23	0	1756.25
27	उत्तराखंड	600	757.8	0	0	0	0	10.35
28	उत्तर प्रदेश	779.91	508.83	0	0	0	0	1288.74
29	पश्चिम बंगाल	5862.58	3746	0	3495.2	0	0	3495.2
	कुल	134562	81648.82	78499.21	135436.4	14993.04	9013.63	190313.2

*अंतिम

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों द्वारा जारी की गई निधि और उपयोगिता की सूचना दर्शाने वाला विवरण (07.03.2025 तक) (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23*		2023-24*	
		कुल निर्मुक्ति	राज्य सरकार द्वारा सूचित उपयोगिता	कुल निर्मुक्ति	राज्य सरकार द्वारा सूचित उपयोगिता	कुल निर्मुक्ति	राज्य सरकार द्वारा सूचित उपयोगिता	कुल निर्मुक्ति	राज्य सरकार द्वारा सूचित उपयोगिता	कुल निर्मुक्ति	राज्य सरकार द्वारा सूचित उपयोगिता
1	आंध्र प्रदेश	8942.43	8942.43	2055.55	2055.55	2638.65	2555.70	0.00	--	0.00	--
2	अरुणाचल प्रदेश	13202.25	13202.25	6014.00	6014.00	9830.00	9830.00	7265.30	7265.30	6740.00	0.00
3	असम	10802.85	9927.80	4592.37	4033.345	2570.000	2252.20	2300.00	1408.96	3294.12	608.77
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	642.08	642.08	1001.01	184.01	871.24	0.00
5	छत्तीसगढ़	22500.77	22500.77	9976.24	9976.24	11604.02	11604.02	13578.43	13562.43	15676.77	0.00
6	गोवा	0.00	--	0.00	--	600.41	400.41	667.79	629.91	150.00	0.00
7	गुजरात	16833.88	16583.88	5940.04	5637.87	6923.79	4629.36	7549.12	5758.03	4584.77	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	5314.7	5314.70	1161.00	1297.00	1500.00	1350.00	1655.00	940.43	1696.45	364.57
9	झारखंड	11166.77	11166.77	10278.00	10278.00	12264.19	10715.62	6677.87	5642.87	14299.82	0.00
10	कर्नाटक	10435.46	10435.46	3305.68	3305.68	3210.00	3210.00	4297.57	3529.70	4070.00	0.00
11	केरल	633.29	633.29	0.00	--	0.00	--	817.67	0.00	1910.44	0.00
12	मध्य प्रदेश	44938.92	44065.54	4279.78	3689.47	5319.10	3851.89	8438.75	2751.16	15741.70	0.00
13	महाराष्ट्र	23136.7	11704.74	4573.16	617.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--
14	मणिपुर	6151.91	5351.91	0.00	--	0.00	--	1067.36	533.68	2456.35	0.00
15	मेघालय	4799.53	4799.53	492.71	492.71	1595.25	1333.02	2904.84	1823.66	3127.29	1093.50
16	मिजोरम	6598.83	6598.83	1909.71	1909.71	2971.54	2971.54	1654.05	1654.05	2897.97	0.00
17	नागालैंड	6802.11	6802.11	1717.38	1717.38	3202.39	3202.39	5863.47	4952.50	5020.11	0.00
18	ओडिशा	15110.66	15110.66	6304.62	6304.62	11382.05	11382.05	10150.55	10150.55	6870.56	0.00
19	राजस्थान	15586.19	15586.19	9166.00	9166.00	10435.21	8795.80	11002.53	4594.26	8940.07	0.00
20	सिक्किम	3175.35	3175.35	516.00	389.65	2045.00	2045.00	720.38	220.86	1754.38	0.00
21	तमिलनाडु	6356.07	6276.12	0.00	--	0.00	--	0.00	1146.26	650.49	0.00
22	तेलंगाना	9973.28	9973.28	2517.00	2517.00	2050.00	2050.00	3114.46	3114.46	5169.00	2669.00
23	त्रिपुरा	2952.63	2952.63	201.74	201.74	607.53	607.53	1294.71	827.34	4226.39	881.16
24	उत्तर प्रदेश	2760.71	2760.710	927.426	927.43	832.71	832.71	1135.82	1041.66	1353.63	0.00
25	उत्तराखंड	428.37	428.37	0.00	--	100.65	7.47	306.02	12.05	964.05	0.00
26	पश्चिम बंगाल	12127.17	12127.17	4041.14	4041.14	0.00	--	4186.50	3448.98	4744.40	0.00
कुल योग		266140.83	251830.49	79969.55	74572.52	92324.57	84268.79	97649.20	75193.11	117210.00	5617.00

*अनंतिम

**2019-20 से 2023-24 के दौरान वित्त पोषित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत
स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत जारी निधि का विवरण**

((राशि रु. में))

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*	2023-24*
आंध्र प्रदेश	10157218	5026080	16228664	18301307	9219195
अरुणाचल प्रदेश	35595687	27184297	23778993	21390896	20573970
असम	6213405	4061646	18512478	21446016	12174669
छत्तीसगढ़	15948615	4900346	13036874	13841651	14064345
दिल्ली	-	1316151	1428775	831450	-
गुजरात	17888100	12098347	10403047	28473189	29916753
हिमाचल प्रदेश	17953743	22425259	13154561	22602270	43721847
जम्मू और कश्मीर	1587901	4639377	2672910	3676230	-
झारखंड	107514637	50136982	69711917	88190996	91875560
कर्नाटक	25497469	11651044	22293781	29058597	24733453
केरल	-	12082483	14281473	12947767	752581
लद्दाख	-	-	4308595	7432575	8453665
मध्य प्रदेश	49199977	22388570	110269307	109112963	97555785
महाराष्ट्र	62859152	40257292	67398480	135880516	104752678
मणिपुर	33097504	28092348	60202985	20753949	40608780
मेघालय	145347653	84500593	77602299	213205493	91483144
मिजोरम	4711528	6963997	11151249	5150495	3869288
ओडिशा	293997570	153681894	242481660	204949463	409584484
राजस्थान	17184495	18979922	10165582	26921415	21767514
सिक्किम	3046526	946123	2718360	4681356	5315775
तमिलनाडु	28908752	11703033	27473845	25030967	37729224
तेलंगाना	1096770	5481754	5664219	3999477	9697708
त्रिपुरा	4656113	3354479	156271	9568845	4208501
उत्तर प्रदेश	-	11222937	3220666	6149490	5102760
उत्तराखंड	1558170	4854462	6422488	11292690	4430032
पश्चिम बंगाल	64483189	47050584	57760521	47609937	116779436
कुल	94,85,04,174	59,50,00,000	89,25,00,000	1,09,25,00,000	1,20,83,71,147

*अनंतिम

‘जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता’ योजना के अंतर्गत जारी निधि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	जारी निधि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*	2023-24*
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	500.00	455.00	432.75	219.13	125.00
3	अरुणाचल प्रदेश	923.85	184.15	0.00	0.00	48.63
4	असम	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	189.04	113.43	250.00
6	गुजरात	1719.06	0.00	0.00	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	68.05	50.00	114.1	0.00	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	308.84	206.51	200	170.84	770.85
9	झारखंड	1654.50	0.00	13.92	164.96	417.03
10	कर्नाटक	185.50	26.35	184.25	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	0.00	447.00	484.58	0.00	143.08
13	महाराष्ट्र	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मिजोरम	1512.00	1178.22	766.65	53.75	550.00
16	नागालैंड	275.00	0.00	85	205.000	400.00
17	ओडिशा	780.04	503.00	644.76	313.15	600.00
18	राजस्थान	0.00	8.89	215.34216	0.00	0.00
19	सिक्किम	82.50	144.00	273.3	0.00	0.00
20	तमिलनाडु	0.00	0.00	135.09	0.00	25.00
21	तेलंगाना	557.25	375.75	548.95	0.00	0.00
22	त्रिपुरा	335.52	0.00	44.29384	0.00	25.00
23	उत्तर प्रदेश	0.00	35.15	89.25	0.00	0.00
24	पश्चिम बंगाल	149.25	0.00	0	0.00	0.00
25	मेघालय	0.00	0.00	66.224	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	693.00	2183.48	1400.75	0.00	948.01
27	गोवा	0.00	202.50	111.75	0.00	50.57
28	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	10998.00	6000.00	6000.00	1240.26	4353.17

*अनंतिम
